भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1381**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 27 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात

1381. श्री मनोज कोटक:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का विनिर्माण और निर्यात विगत पांच वर्षों के दौरान गिरा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के विनिर्माण और निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ''मेक इन इंडिया'' परियोजना के तहत भारत में शुरू हुई इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): जी नहीं। पिछले पांच वर्षों म देश म इलेक्ट्रॉनिक मदों के विनिमाण एवं नियात म कमी नहीं आई है।

पिछले पांच वर्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मदों के विनिमाण और नियात का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

(मूल्य आईएनआर म)

वष	नियात #	उत्पादन*
2014-15	38,263	190,366
2015-16	39,064	243,263
2106-17	39,980	317,331
2017-18	41,220	388,306
2018-19	61,908	458,006

(स्रोत:# नियात आंकडे डीजीएफटी वेबसाइट से /* उत्पादन आंकडे एमईआईटीवाई का वार्षिक रिपोट 2018-19 से लिए गए ह)

(घ): भारत म इलेक्ट्रॉनिक मदों के विनिमाण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा का गई पहल अनुबंध पर है।

(ड.) : भारत सेल्यूलर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पिछले 4-5 वर्षों के दौरान (2014 म 2 यूनिटों का तुलना म) लगभग 268 यूनिट लग चुका ह जो देश म सेल्यूलर मोबाइल हडसेट और उनके सब असेम्बली /पार्ट्स/संघटकों भाग का विनिमाण कर रहा ह ।

संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (एम-एसआईपीएस) के अंतगत 177 आवेदकों ने 1,7,144 करोड़ रुपये का निवेश करना प्रारंभ कर दिया है, जिसम से 160 आवेदकों ने 14,591 करोड़ रुपये के निवेश से वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू कर दिया है।

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1586**

<u>दिनांक 27 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

fu;kZr dks c<kok nsus lEca/kh dne

1586- Jh mÙke'kk Hkk¸;klkgc ikfVy%

D;k okf.kT; vkSj m|ksx ea=h ;g crkus dh dìik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj dh fo'ks"kdj df"k mRiknksa ds fu;kZr dks c<kok nsus ds fy, jkT;ksa dh lgk;rk djus lEca/kh dksbZ ;kstuk gS vkSj ;fn gka] rks rRlEca/kh C;kSjk D;k gS(

¼[k½ xr rhu o"kksZa esa iR;sd o"kZ ds nkSjku fofHkUu jkT;ksa ds fu;kZr dks c<kok nsus ds fy, vkofVr dh xbZ dqy /kujkf"k dk {ks=okj vkSj jkT; okj C;kSjk D;k gS vkSj ljdkj }kjk fu;kZr dks c<kok nsus ds fy, jkT;ksa dks "kkfey djus ds fy, D;k dne mBk, x, gSa(

¼x½ ljdkj }kjk df"k mRiknksa dk cgrj cukus rFkk n'kZds fu;kZr y{; dks ikIr djus esa vkus okyh lHkh izdkj dh ck/kkvksa dks nwj djus ds fy, D;k mik; fd, x, gSa(

¼?k½ D;k ljdkj us fu;kZr dks c<kok nsus ds fy, dj esa NwV nsus dks Hkh izksRlkgu fn;k gS vkSj ;fn gka] rks rRlEca/kh C;kSjk D;k gS(vkSj

¼³½ xr rhu o"kksZa esa iR;sd o"kZ ds nkSjku fdruh NwV nh xbZ gS vkSj fu;kZr esa of) djus esa mDr NwV dh D;k Hkwfedk jgh rFkk mDr NwV dk lefpr mi;ksx lqfuf'pr djus ds fy, D;k fuxjkuh r= ekStwn gS\

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क),(ख) और (ग) राज्यों से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्कीमें हैं जिनमें कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीडा) द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन स्कीम के तहत निम्नलिखित के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता शामिल है:

(1) अवसंरचना विकास

(2) गुणवत्ता विकास

(3) बाजार संवर्धन

(4) जैविक उत्पाद विकास

सरकार की कृषि उत्पादों के निर्यात में मालभाड़ा क्षति को कम करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विशिष्ट कृषि उत्पाद परिवहन एवं विपणन सहायता स्कीम भी है।

वाणिज्य विभाग की निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) नामक एक स्कीम भी है जिसका उद्देश्य निर्यात अवसंरचना में अंतराल को दूर करने के प्रयासों में राज्यों को सहायता देना है। यह निर्यात विशिष्ट अवसंरचना जैसे गुणवत्ता और प्रमाणन प्रयोगशालाओं तथा साझा प्रयोक्ता सुविधाओं इत्यादि का सृजन करने के लिए सहायता प्रदान करती है।

निर्यात संवर्धन में राज्यों को शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में भारत सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और राज्यों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए नियमित वार्ता सुनिश्चित करती है।

राज्य सरकारों से एक वरिष्ठ अधिकारी को निर्यात आयुक्त के रूप में नामित करने का अनुरोध किया गया है जो राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों से अपेक्षित सभी निर्यात प्रयासों का समन्वय करेगा।

वाणिज्य विभाग ने वर्ष 2018 में एक कृषि निर्यात नीति का शुभारंभ भी किया है जो इस सेक्टर द्वारा सामना की जा रही विभिन्न नीतिगत, विनियामक और अवसंरचनात्मक अंतरालों का समाधान करके भारतीय कृषि की निर्यात संभावनाओं को बढ़ाने में सहयोग करती है।

(घ) और (ड़) : जीएसटी से संबंधित प्रावधानों के तहत माल का निर्यात शून्य रेटेड है। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के तहत, सरकार निर्यात वस्तु के विनिर्माण में उपयोग किए गए इनपुट पर वहन किए गए सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों/सीजीएसटी के भार को बेअसर करने का प्रावधान करती है। विगत तीन वर्षों के दौरान दिए गए ड्यूटी ड्रॉबैक की राशि निम्नानुसार है :-

वित्त वर्ष	राशि(करोड़ रुपए में)
2016-17	30,932.92
2017-18	24,223.83
2018-19	16,905.28

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.** 1583

दिनांक 27 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

vkjlhbih d fodYi

1583- Jh dñ lCckjk;.kh

Jh Mhñ jfodekjh

Jh fiukdh feJh

D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku dh dik djx fdh

¼d½ D;k ljdkj u {k=h; 0;kid आर्थिक Hkkxhnkjh ¼vkjlhbih½ l vyx gku dk fu.k; fy;k g vkj ;fn gk] rk bld D;k dkj.k g(

¼[k½ D;k bl eDr 0;kikj [kM dk fgLlk ugh gku d dkj.k fdlh ykHk l ge ofpr gk ldr g(

¼x½ D;k Hkkjr dk ckn e bl leg e 'kkfey gku dk dkb ikoधान g(

¼?k½ ;fn gk] rk D;k bld fy, vFk0;oLFkk dh r;kfj;k dk cgrj cuku d fy, dkb dne mBk, tk jg g@mBk, tk,x(

¼³½ D;k Hkfo"; e l;Dr jkT; vefjdk vkj ;jkih; l?k lfgr fdUgh vU; n'kk d leg vFkok ,d n'k d lkFk fdlh vU; :i e eDr 0;kikj le>krk 'k: dju dh dkb ;ktuk g(

¼p½ ;fn gk] rk rRlcधी C;kjk D;k g(vkj

¼N½ ljdkj }kjk 0;kikj ?kkV dk de dju d fy, fd, tk jg mik;k dk C;kjk D;k g\

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क)से (घ) दिनांक 4 नवबर, 2019 को बैकांक में आयोजित आरसीईपी नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कहा कि आरसीईपी की वर्तमान संरचना आरसीईपी के मार्गदर्शक सिद्धातों को प्रतिबिम्बित नहीं करती अथवा यह भारत के बकाया मुद्दों और समस्याओं का समाधान नहीं करती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत आरसीईपी में सम्मिलित नही हुआ। जबकि, आरसीईपी की भारत सहित अन्य आरसीईपी देशों के लिए परस्पर लाभकारी परिणाम देने की इच्छा के बावजूद इसकी वर्तमान संरचना भारत के हितधारकों की महत्वाकांक्षाओं और समस्याओं का पर्याप्त समाधान नहीं करती है।

(ड.) से (च) भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर उपयुक्त व्यापार करारों के लिए अवसरों सहित अपने व्यापार सम्बंधों को आगे बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय, बहुपक्षीय एवं विविधपक्षीय अवसरों का अनुसरण कर रहा है।

(छ) अन्य के अलावा, सरकार ने व्यापार घाटे को कम करने, भारत के निर्यात को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा संवर्धित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए है:-

(i)) दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को एक नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 आरंभ की गयी। एफटीपी 2015-20 देश में रोजगार सृजन करना एवं मुल्य वर्धन में वृद्धि करने के साथ-साथ " मेक इन इंडिया", डिजिटल इंडिया " स्किल इंडिया", "स्टार्ट अप इंडिया" एवं " इज ऑफ डूइंग बिजनेस पहलों" के अनुरूप वस्तु एवं सेवा निर्यात में वृद्धि करने के लिए कार्य योजना का प्रावधान है। इस नीति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, पिछली निर्यात संवर्धन स्कीमों को युक्तिसंगत बनाया तथा दो नई स्कीमें अर्थात माल के निर्यात में वृद्धि हेतु भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए भारत सेवा निर्यात स्कीम (एसईएस) आरंभ की। इन स्कीमों के तहत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स को पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय बनाया गया है।

(ii) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास का समन्वय करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक नया लॉजिस्टिक्स प्रभाग सृजित किया गया । विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक में भारत की रैंकिंग वर्ष 2014 में 54 से मूव होकर 2018 में 44 हो गई ।

(iii) व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए गए। विश्व बैंक में "व्यवसाय करने की सुगमता" में भारत की रैंकिग वर्ष 2014 में 142 से बढ़कर वर्ष 2019 में 63 तथा 'सीमा पार व्यापार' में रैंकिग 122 से बढ़कर 80 हो गई।

iv) कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 6 दिसंबर, 2018 को नई व्यापक "कृषि निर्यात नीति" का आरंभ किया गया।

v) देश में निर्यात अवसंरचना में अंतराल को कम करने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से एक नई 'निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम' (टीआईईएस) आरंभ की गयी ।

vi) विशिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए उच्च परिवहन लागत की हानि को कम करने हेतु "परिवहन और विपणन सहायता" (टीएमए) नामक एक नई स्कीम आरंभ की गई।

vii) मौजूदा नीति में सामान्य निर्यात दायित्व विशिष्ट निर्यात दायित्व को 90% से कम करके 75% करके ईपीसीजी स्कीम के तहत स्वदेशी निर्माताओं से पूँजीगत वस्तुओं की खरीद को कम करने का उपाय शामिल है।

viii) इस नीति में इनपुटों का शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए अग्रिम प्राधिकार जारी करने का प्रावधान है जिन्हें एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्यात उत्पाद में वास्तविक रूप से नियमित कर दिया जाता है ।

ix) दिनांक 5 दिसंबर, 2017 को एफटीपी 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा के दौरान; श्रम गहन / एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन दरों में 2 % की वृद्धि की गई थी।

x) नए/संभाव्य निर्यातको के मध्य आउटरीच/व्यापार जागरूकता के लिए निर्यात बंधु स्कीम को आरंभ किया गया था।

xi) दिनांक 01.04.2015 से पोतलदान पूर्व एवं पोत लदान पश्चात रूपया निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण स्कीम को आरंभ किया गया जिसमें श्रम गहन / एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 3% की दर पर ब्याज समकरण प्रदान किया गया। दिनांक 2.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दर को बढ़ाकर 5% किया गया तथा दिनांक 2.1.2019 से इस स्कीम के तहत व्यापारी निर्यातकों को शामिल किया गया ।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1576

दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

रबर कप लम्प का आयात

1576. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में रबर कप लम्प के आयात की अनुमति की मांग हेतु विनिर्माण उद्योग से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू रबर बागान उद्योग पर रबर कप लम्प के आयात के संभावित प्रभाव और देश में प्राकृतिक रबर की कीमत को समझने के लिए एक व्यापक अध्ययन करने की योजना बनाई है या बनाने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): ब्लॉक रबड़ प्रोसेसिंग उद्योग जगत से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें रबड़ कप लम्प के आयात की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। रबड़ कप लंप का आयात अनुमत नहीं हैं क्योंकि अधिसूचना सं. सां.आ. 1205(अ.) दिनांक 12.12.2001 के अनुसार देश में केवल उन किस्मों और आकार के रबड़ का आयात किया जा सकता है जिनके तकनीकी मानक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त निकाय के अनुसार हों। इसके अलावा, चूंकि रबड़ कप लंप्स असंसाधित सामग्री होती है अतः स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी संबंधी चिंताए हैं।

(ग) और (घ): रबड़ कप लंप के आयात के संबंध में अध्ययन कराने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

****

भारत सरकार	**लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	**अतारांकित प्रश्न सं. 1575**

<u>दिनांक 27 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

jkgrd vkj >Ttj l fu;kr

1575- Jh vjfoUn dekj 'kek%

D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku dh dik djx fd%

¼d½ D;k jkgrd vkj >Ttj ftyk l uV&ckYV] QkLVuj] 'kt] df"k mRikn vkj jlk;uk d fu;kr ij fopkj fd;k tk jgk g vkj fnYyh ,uñlhñvkjñ e mudk egRoi.k LFkku g vkj D;k ljdkj dk jkgrd vkj >Ttj ftyk e Hkkjrh; dVuj fMik ¼vkblhMh½ vkj dN idkj d fu;kr lfo/kk dUæ [kksyu dk fopkj g vkj ;fn gk] rk rRlca/kh C;kjk D;k g vkj ;fn ugh] rk bld D;k dkj.k g(

¼[k½ D;k Mh,evkblh (fnYyh&ecb vk|kfxd xfy;kjk) dh i.k lHkkoukvk d fØ;kUo;u vkj nkgu dju e foyc gvk g vkj D;k ?kjy vkj fon'kh fuo'kdk u fuo'k {k=k e vR;f/kd #fp fn[kkb g(vkj

¼x½ ;fn gk] rk ljdkj }kjk bu leL;kvk d lekèkku d fy, mBk, tk jg dnek@mBk, tku oky dnek dk C;kjk D;k g vkj ;fn ugh] rk bld D;k dkj.k g\

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विकासकर्ताओं ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), राजस्व विभाग के तहत एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के समक्ष इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा है। आईएमसी द्वारा प्रस्तावों को अनुमोदित किए जाने पर वह विकासकर्ताओं को आशय पत्र जारी करती हैं।

सीबीआईसी ने सूचित किया है कि, रोहतक और झज्जर में आईसीडी की स्थापना करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के समक्ष आज की तिथि तक कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

(ख) और (ग) : डीएमआईसी (दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरीडोर) परियोजना चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है। समग्र डीएमआईसी क्षेत्र के लिए संभावित योजना पूरी हो चुकी है और 24 निवेश क्षेत्र / औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए अभिज्ञात किए गए हैं।

डीएमआईसी परियोजना के चरण-1 में विकास के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने वाली कुछ स्वतंत्र परियोजनाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित आठ (8) निवेश क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है:

1. गुजरात में धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (920 वर्ग किलोमीटर);
2. महाराष्ट्र में शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र (84 वर्ग किलोमीटर);
3. महाराष्ट्र में दिघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र (253 वर्ग किलोमीटर);
4. हरियाणा में मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र (402 वर्ग किलोमीटर);
5. राजस्थान में खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र (165 वर्ग किलोमीटर);
6. राजस्थान में जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (154 वर्ग किलोमीटर);
7. मध्य प्रदेश में पीथमपुर-धार-महू निवेश क्षेत्र (372 वर्गमीटर कि.मी.)
8. उत्तर प्रदेश में दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (200 वर्ग कि.मी.)

औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं की स्वीकृत वित्तीय और संस्थागत संरचना के अनुसार, परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) की होती है। जहां भी संबंधित राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई है, वहॉ परियोजना विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया है। नोड / शहर स्तर / परियोजना एसपीवी निगमित की गयी है और दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित 04 स्थानों पर मुख्य अवसंरचना के क्रियान्वयन का कार्य पूर्ण होने वाला है:

1. गुजरात में धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सक्रियण क्षेत्र (22.5 वर्ग किलोमीटर);
2. महाराष्ट्र में शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र (18.55 वर्ग किलोमीटर);
3. उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप परियोजना (747.5 एकड़);
4. मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप परियोजना 'विक्रम उद्योगपुरी' (1100 एकड़)।

उपरोक्त चार स्थानों पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है और कुल 67 भूखंडों को प्रमुख निवेशकों जैसे ह्योसंग (दक्षिण कोरिया), टाटा केमिकल्स (इंडिया), एचएआईईआर (चीन) आदि को चरणबद्ध तरीके से 10,060 करोड़ के कुल निवेश के साथ आवंटित किया गया है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.** 1557

<u>दिनांक 27 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

vkjlhbih e Hkkx u yuk

1557- Jh fot; dekj%

D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku dh dik djx fd%

¼d½ D;k ljdkj u ?kjy m|kxk vkj df"k d 0;kid fgrk ij fopkj djr g, {k=h; 0;kid vkfFkd Hkkxhnkjh ¼vkjlhbih½ ij gLrk{kj dju l euk dj fn;k g(

¼[k½ ;fn gk] rk vkjlhbih nLrkot dk dku lk [kM g tk fd n'k dh vFk0;oLFkk d fofHkUu l?kVdk ij ifrdy iHkko Mky ldrk Fkk(

¼x½ D;k ljdkj u Hkfo"; e l'kk/kuk dh 'krk dk 'kkfey dju dk iLrko fn;k g rkfd Hkkjr bl cM okf.kfT;d leg l iFkd u jg tk,(

¼?k½ ;fn gk] rk rRlcधी 'kr D;k g vkj D;k ; gekjh LFkkuh; fprkvk dk lekधान djrh g(vkj

¼³½ ;fn gk] rk bl lcध e D;k C;kjk g \

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) : दिनांक 4 नवबर, 2019 को बैकांक में आयोजित आरसीईपी नेताओं के तीसरे शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कहा कि आरसीईपी की वर्तमान संरचना आरसीईपी के मार्गदर्शक सिद्धातों को प्रतिबिम्बित नहीं करती अथवा यह भारत के बकाया मुद्दों और समस्याओं का समाधान नहीं करती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत आरसीईपी में सम्मिलित नही हुआ। जबकि, आरसीईपी की भारत सहित अन्य आरसीईपी देशों के लिए परस्पर लाभकारी परिणाम देने की इच्छा के बावजूद इसकी वर्तमान संरचना भारत के हितधारकों की महत्वाकांक्षाओं और समस्याओं का पर्याप्त समाधान नहीं करती है।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1510**

दिनांक 27 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

of'od 0;kikj e Hkkjrh; fgLlnkjh

1510- Jh jouhr flg%

D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crkus dh dik djx fd%

¼d½ D;k ljdkj 2020 rd fo'o 0;kikj e viuh fgLlnkjh dk oreku d 2-52 ifr'kr l c<kdj 3-5 ifr"kr rd dju d ekx ij g(

¼[k½ ;fn gk] rk rRlcèkh C;kjk D;k g vkj bl lcèk e ljdkj }kjk D;k dne mBk, x, g(

¼x½ D;k Hkkjrh; eky fo'o ckt kj e de ifrLièkh g D;kfd n'k e fu;kr dk lHkkj r= ykxr cgr vf/kd g vkj ;fn gk] rk rRlcèkh C;kjk D;k g(

¼?k½ D;k ljdkj fu;krdk dh of'od ifrLièkk dk iHkkfor dju oky {k= e c<rh ykxr t l ekey l fuiVus d fy, ,d vyx lHkkj r= foHkkx cuku ij fopkj dj jgh g(

¼³½ ;fn gk] rk rRlcèkh C;kjk D;k g vkj bl lcèk e dc rd vfre fu.k; fy, tku dh lHkkouk g(vkj

¼p½ D;k ljdkj u djrkjij lkfgc e 0;kikj tku cuku gr dne mBk, g vkj ;fn gk] rk rRlcèkh C;kjk D;k g\

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) एवं (ख) : अप्रैल 2019 को जारी डब्ल्यूटीओ डाटा के अनुसार, वर्ष 2018 में पण्यवस्तुओं के लिए वैश्विक निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी 1.7 प्रतिशत और वैश्विक आयातों में भारत की हिस्सेदारी 2.6 प्रतिशत थी।वर्ष 2018 में सेवा क्षेत्र में वैश्विक निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी 3.5 प्रतिशत और आयातों में 3.2 प्रतिशत थी।

भारत सरकार निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा सक्रियतापूर्वक कई कदम उठाती रही है जिनमें, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं:

1. स्टेकहोल्डरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराने हेतु व्यापार एवं विकास परिषद और व्यापार बोर्ड का विलय: उद्योग, निर्यात संवर्धन परिषदों, भारत सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों तथा बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के प्रतिनिधियों को मिलाकर बना यह साझा मंच प्राथमिकता आधार पर इनके समाधान पर फोकस करते हुए निर्यात से संबंधित समस्याओं के समाधान में गंभीर भूमिका निभा रहा है।

2. निर्यात सहायता के लिए निधियों का इन्फ्यूजन: 389 करोड़ रुपये की एक पूंजी 21 जून, 2019 को निर्यात _.k गारंटी निगम(ईसीजीसी) में इनफ्यूज की गई है। 21 जून, 2019 को राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता(एनईआईए) ट्रस्ट में 300 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान (कॉर्प्स) का योगदान दिया गया है जिसके द्वारा चुनौतीपूर्ण बाजारों में परियोजना निर्यातों की सहायता के लिए जोखिम लेने की इसकी क्षमता को बढ़ाया गया।

3. कृषि निर्यात नीति: कृषि निर्यातों को वर्तमान 30 बिलियन अमे.डॉलर से बढ़ाकर 2022 तक 60 + बिलियन अमे.डॉलर करने के लिए एक नई कृषि निर्यात नीति(एईपी) दिसंबर 2018 में अनुमोदित की गई। इसके कार्यान्वयन हेतु 2019-20 के लिए 206 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

4. **रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को बढ़ावा:** विभिन्न मुद्दों का समाधान, जिनमें अन्यबातों के साथ साथ प्रदर्शनी प्रयोजन/खेंप आधार के लिए विगत में निर्यात किया गया था, उनके पुन: आयात करने पर आईजीएसटी भुगतान की आवश्यकता को हटाना शामिल है। आभूषण निर्यातकों को आपूर्ति किए जाने वाले स्वर्ण के आयात के लिए नामित एजेंसियों/बैंकों द्वारा निष्पादित बांडों के आंशिक डिस्चार्ज की अनुमति देना जिसके द्वारा नामित एजेंसियों/बैंकों को उन आभूषण निर्यातकों को बैंक गारंटी जारी करने में सक्षम बनाना जिन्होंने अपने निर्यात दायित्वों को पूरा किया है।

5. व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना:

क. निर्यातकों के लिए व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार लाने के लिए 16.09.2019 को निर्यातकों हेतु उद्भव के इलेक्ट्रोनिक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म (सीओओ) आरंभ किया गया।

ख. नवगठित सरकार द्वारा पारित किया जाने वाला पहला कानून- विशेष आर्थिक जोन(संशोधन) विधेयक, 2019

i. एसईजेड (संशोधन) विधेयक 2019 संसद द्वारा पारित होने वाला नवगठित सरकार का पहला कानून बन गया। यह ट्रस्ट सहित किसी भी निकाय को एसईजेड में ईकाई की स्थापना करने में सक्षम बनाएगा। **यह निवेशों को बढ़ावा देने एवं नए निर्यात तथा रोजगार अवसरों के सृजन में सहायता करेगा।**

ii) कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं : व्यवसाय करने की सुगमता की दिशा में एक उपाय के रूप में एसईजेड इकाइयों को विशिष्ट रूप से उनके अपने उपयोग के लिए क्रेच, जिम्नाजियम, कैफेटैरिया इत्यादि जैसी सुविधाओं को सृजित करने की अनुमति दी गई।

(ग) भारत में संभारतंत्र लागत के आकलन के लिए कोई आधिकारिक अध्ययन नहीं है। कुछ निजी एजेंसियों ने भारत सहित विभिन्न देशों में संभारतंत्र लागत का आकलन किया है।

(घ) वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है। संभारतंत्र क्षेत्र के समेकित विकास पर नजर रखने के लिए वाणिज्य विभाग में एक विशेष सचिव के अधीन एक अलग प्रभाग का गठन किया गया है।

(ड़) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1467**

दिनांक 27 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

^vkfl;ku* d lkFk eDr 0;kikj le>krk

1467- Jh xtkuu dhfrdj%
Jh fo|r cju egrk%
Jh lt; lnkf'kojko ekMfyd%
Jh irkijko tk/ko%
Jh lèkhj xlrk%

D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crkus dh dik djx fd%

¼d½ D;k Hkkjr u viu vkfFkd fgrk vkj {k=h; ikFkfedrkvk dk n[kr g,] {k=h; 0;kid vkfFkd Hkkxhnkjh ¼vkjlhbih½ l nj jgu dk fodYi puk g(

¼[k½ ;fn gk] rk rRlcèkh C;kjk D;k g vkj Hkkjrh; ?kjy cktkj ij bldk D;k iHkko iMu dh lHkkouk g(

¼x½ D;k ljdkj dk tkiku] nf{k.k dkfj;k vkj ^vkfl;ku* n'kk d lkFk eDr 0;kikj le>kr ¼,QVh,½ dh leh{kk dju dk fopkj g(

½?k½ ;fn gk] rk rRlcèkh C;kjk D;k g vkj bld D;k dkj.k g(

¼³½ D;k Hkkjr vefjdk vkj ;jkih; l?k d n'kk d lkFk 0;kikj le>kr dh lHkkouk, ryk'k jgk g(vkj

¼p½ ;fn gk] rk rRlcèkh C;kjk D;k g vkj bl lc/k e ljdkj }kjk D;k dne mBk, x, g@mBk, tk jg g\

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ख) : 4 नवंबर, 2019 को बैंकाक में आयोजित तीसरी आरसीईपी लीडर्स शीर्ष बैठक के दौरान, भारत ने उल्लेख किया कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी(आरसीईपी) की वर्तमान संरचना इसके मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्रतिबिम्बित नहीं करती है या भारत के बकाया मुद्दों और चिंताओं का समाधान नहीं करती है, जिसके आलोक में भारत आरसीईपी में शामिल नहीं हुआ।

(ग) से (घ) : भारत ने आसियान और जापान दोनों के साथ अपने वर्तमान व्यापार समझौतों की समीक्षा की मांग की है। तथापि, वर्तमान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) के उन्नयन के लिए दक्षिण कोरिया के साथ वार्ता के 8 दौर किए जा चुके हैं।

(ड़) एवं (च) : भारत और यूरोपीय संघ ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश करार (बीटीआईए) पर 2016 में अपनी वार्ता फिर से आरंभ होने के बाद से स्टॉक टेकिंग स्तर की 8 बैठकें आयोजित की हैं।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न संख्या 1449**

दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत द्वारा व्यापारिक अवसर खो देना

1449. श्री एस॰सी॰ उदासीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने अंततः क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) का हिस्सा नहीं बनने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करके वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने का अवसर खो दिया है और साथ ही क्षेत्र में कुछ व्यापारिक अवसरों के दरवाजे बंद कर दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ख) : दिनांक 4 नवबर, 2019 को बैकांक में आयोजित आरसीईपी नेताओं के तीसरे शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कहा कि आरसीईपी की वर्तमान संरचना आरसीईपी के मार्गदर्शक सिद्धातों को प्रतिबिम्बित नहीं करती अथवा यह भारत के बकाया मुद्दों और समस्याओं का समाधान नहीं करती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत आरसीईपी में सम्मिलित नही हुआ। भारत ने यह भी उल्लेख किया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की आर्थिक नीति की महत्वपूर्ण नीति है और अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ भारत की संलिप्तता जारी रहेगी।

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न संख्या 1441**

दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओपन सेल टीवी पैनल

1441. श्री जी॰ सेल्वमः

श्रीमती संध्या रायः

श्री धनुष एम॰ कुमारः

श्री सुब्रत पाठकः

श्री विजय कुमार दुबेः

श्री रेबती त्रिपुराः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एलईडी टीवी जैसे टेलीविजन सेट के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले ओपन सेल टीवी पैनल पर से 5 प्रतिशत सीमा शुल्क हटा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कदम से टीवी की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि इससे टीवी निर्माताओं के लिए इनपुट लागत कम होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई टीवी विनिर्माण कंपनियों ने भारत में टीवी बनाना बंद कर दिया है और अब उन्हें अन्य एशियाई देशों से आयात कर रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत भारत में विनिर्माण के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या जल्द ही भारत दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा देश बन जाएगा जहां हर घर में टेलीविजन सेट होगा; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और अधिक टीवी सेट बनाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : सरकार ने अधिसूचना सं. 30/2019-सीमाशुल्क दिनांक 17.09.2019 द्वारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए

ओपन सैल (15.6'' और उससे अधिक) पर से 5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) सितम्बर, 2020 तक हटा दिया है।

(ख) : यह आशा की जाती है कि टी.वी. विनिर्माता यह लाभ उपभोक्ताओं को हस्तांतरित कर सकते है, जिससे टी.वी. की कीमतों में कमी आएगी।

(ग) : इंडिया सैल्यूलर एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ओपन सैल पर दिनांक 23.03.2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 32/2018 के तहत बीसीडी अधिरोपित करने के बाद से, भारत के सबसे बड़े टी.वी. विनिर्माता ने इसकी उत्पादन गतिविधियों पर रोक लगा दी थी और अपने कार्य वियतनाम में स्थानांतरित कर दिए थे तथा आसियान-इंडिया एफटीए के तहत तैयार टी.वी. का आयात आरंभ कर दिया।

(घ) : मेक-इन-इंडिया पहल के तहत भारत में विनिर्माण के लिए कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

(ड.) और (च) : इलैक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार, भारत में टी.वी. उद्योग की वृद्धि के लिए घरेलू बाजार मांग को पूरा करने और निर्यात, दोनों में विशेषकर विनिर्माण के दृष्टिकोण से काफी संभाव्यता है। देश में टी.वी. के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टी.वी. के आयात पर 20 प्रतिशत की दर से बीसीडी अधिरोपित किया गया है। अधिसूचना सं. 30/2019- दिनांक 17.09.2019 द्वारा सितम्बर, 2020 तक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टी.वी. चैनल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए ओपन सैल (15.6'' और उससे अधिक) पर अधिरोपित किए जाने वाले बीसीडी में कमी करके 5 प्रतिशत से शून्य कर दिया गया है। ओपन सैल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित इनपुटों पर भी बीसीडी की छूट प्रदान की गई है :-

- फिल्म पर चिप
- प्रिंटिड सर्किट बोर्ड एसेम्बली (पीसीबीए)
- सैल (ग्लास बोर्ड/सबस्ट्रैट)

अनुबंध-1

घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

(i) संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (एम-एसआईपीएस) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में अक्षमता को संतुलित करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। नई परियोजनाओं के साथ-साथ विस्तार परियोजनाओं के लिए यह स्कीम 31.12.2018 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी। इस स्कीम के तहत, 110,004 करोड़ रू. के निवेश वाले 409 निवेश प्रस्ताव (10.10.2019 की स्थिति के अनुसार) विचाराधीन हैं ।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स (ईएमसी) स्कीम को अधिसूचित किया गया था। स्कीम 5 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 21.10.2017 तक आवेदन की प्राप्ति के लिए खुली थी। अनुमोदित आवेदकों के लिए धन के संवितरण 5 वर्ष की आगे की अवधि उपलब्ध है। इस स्कीम के तहत देश भर के 15 राज्यों में 20 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है।

(iii) मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए आटोमेटिक रूट के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है जो लागू विधियों/ विनियमों/सुरक्षा एवं अन्य शर्तों के अध्यधीन है।

(iv) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग द्वारा उपयोग के लिए कम से कम 5 वर्षों के शेष जीवन वाले उपयोग किए गए संयंत्र और मशीनरी का आयात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 11.06.2018 की अधिसूचना के जरिए खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांस बाउन्ड्री अभियान) नियम, 2016 के संशोधन के माध्यम से सरल किया गया है।

(v) निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माल के विनिर्माण के लिए अधिसूचित पूंजीगत वस्तुओं को "निल" आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) पर आयात करने की अनुमति है।

(vi) राजस्व विभाग ने दिनांक 11.09.2018 की अधिसूचना संख्या 60/2018-सीमा शुल्क के तहत दिनांक 14.11.1995 की अधिसूचना संख्या 158/95-सीमा शुल्क में संशोधन किया है, जिसमें भारत में विनिर्मित और मरम्मत या सुधार के लिए भारत में फिर से आयात किए गए निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए काल - प्रभावन प्रतिबंध को 3 वर्ष से 7 वर्ष तक शिथिल किया गया है।

(vii) भारत में घटिया और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एमईआईटीवाई ने अनिवार्य अनुपालन के लिए "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" अधिसूचित किया है। इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार, निर्माता को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उत्पाद का परीक्षण कराना होता है, बीआईएस से पंजीकरण लेना होता है और उत्पाद पर पंजीकरण चिह्न लगाना होता है। इस आदेश के तहत 44 उत्पाद श्रेणियों को अधिसूचित किया गया है।

(viii) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 (एनपीई 2019), 25.02.2019 को अधिसूचित की गई है। एनपीई 2019 का विजन भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में पेश करना है, ताकि चिपसेट सहित मुख्य घटकों को विकसित करने और विश्व भर में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योग के लिए सक्षमकारी वातावरण बनाने के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और प्रबल किया जा सकें।

(ix) कॉरपोरेट आयकर में कटौती :

घरेलू कंपनियाँ अब 22% की दर पर (अधिभार और उपकर सहित 25.17%) रियायती कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकती हैं, बशर्ते कि ऐसी कंपनी ने किसी भी आयकर प्रोत्साहन या छूट का दावा न किया हो। ऐसी कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होंगी। इसके अलावा, विनिर्माण में नए निवेशों को आकर्षित करने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान किए गए है जिनमें 1 अक्तूबर, 2019 को या उसके बाद नियमित नई घरेलू कंपनियों के विनिर्माण में नव निवेश करने और 31 मार्च, 2023 तक अपना प्रचालन शुरू करने, 15% की दर पर (अधिभार और उपकर सहित 17.16%) कारपोरेट आयकर का विकल्प चुनने की अनुमति है। ऐसी कंपनी आयकर अधिनियम के तहत किसी अन्य आयकर छूट / प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठा सकती है। ऐसी कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होंगी।

छूट/प्रोत्साहन का लाभ उठाने वाली कंपनियों के लिए एमएटी दर 18.5% से घटाकर 15% कर दी गई है।

<u>नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना</u>

(x) इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड (ईडीएफ) को व्यावसायिक रूप से प्रबंधित "डॉटर फंड्स" में शामिल करने के लिए "फंड्स ऑफ फंड्स" के रूप में स्थापित किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नई तकनीकों को विकसित करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी प्रदान करेगा। इस निधि से इन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को बढ़ावा देना अपेक्षित है।

(xi) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) अभिज्ञात थ्रस्ट क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए आईआईटी, आईआईएससी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आरएंडडी संगठनों जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान प्रदान करता है । इन शोध कार्यक्रमों का उद्देश्य अवधारणा, प्रौद्योगिकी / उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी के अन्तरण के प्रमाण देना हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, इन क्षेत्रों में कई शोध पहलें की गई हैं। इन शोध कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप "मेक इन इंडिया" में सहयोग करने के लिए विशिष्टता प्राप्त जनशक्ति का सृजन होता है।

(xii) सेट टॉप बॉक्सेस(एसटीबी) के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंडियन कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (आईसीएएस) को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रणाली पर विकसित किया गया है। केबल नेटवर्क में आईसीएएस का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

(xiii) ईएसडीएम क्षेत्र के विकास के लिए ऊष्मायन प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में एक इलेक्ट्रोप्रेनुर पार्क स्थापित किया गया है जो इस क्षेत्र में आईपी निर्माण और उत्पाद विकास में योगदान देगा।

(xiv) अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईआईटी-कानपुर में नेशनल सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस लार्ज एरिया फ्लैक्सीबल इलेक्ट्रॉनिक्स (एनसीएफएलईएक्स) केंद्र स्थापित किया गया है; जिसका उद्देश्य विनिर्माण; पारिस्थितिकी तंत्र; उद्यमिता, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और मानव संसाधन और व्यावसायीकरण के लिए उद्योग के सहयोग से प्रोटोटाइप का विकास करना है।

(xv) आईआईटी-बॉम्बे में नेशनल सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्नालोजी आन इण्टरनल सिक्योरिटी (एनसीईटीआईएस) की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप उपलब्ध कराकर सतत आधार पर राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना है और आंतरिक सुरक्षा के लिए घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है।

(xvi) आईआईटी-पटना में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित एक इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है।

(xvii) सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेट करने और इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए स्टार्ट-अप को वन-स्टॉप सेवा प्रदान करने के लिए आईआईटी हैदराबाद में एक फैबलेस चिप डिज़ाइन इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है।

(xviii) एसटीपीआई चेन्नई में फिनटेक में अवसंरचना, संसाधन, कोचिंग / मेंटरशिप, प्रौद्योगिकी सहायता और फिनटैक क्षेत्र में सहयोगी दृष्टिकोण के माध्यम उभरते हुए स्टार्ट अप्स को फंड प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना की गई है जिसमें औद्योगिक साझेदार रूप में मैसर्स इन्टलैक्ट डिजाइन, एनपीसीआई, यूआईडीएआई और साझेदार बैंक के रूप में येस बैंक, पे पाल एचएसबीसी, ज्ञान साझेदार के रूप में आईआईटी चेन्नई और औद्योगिक संपर्क प्रदान करने के लिए टीआईई चेन्नई शामिल है।

(xix) एक एल ओ टी ओपन लैब - ऐरो इलेक्ट्रॉनिक्स एसटीपीआई बैंगलोर के साथ साझेदारी करके सेन्टर आफ एक्सीलेंस फार इंटरनेट ऑफ थिंग्स (सीओई) की स्थापना की गई है ताकि विकासशील उत्पादों और / या एलओटी संबंधी सेवाओं के विकास के लिए एलओटी उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को शैक्षणिक और व्यावसायिक परामर्श प्रदान किया जा सके।

(xx) ईएसडीएम नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और देश के पूर्वी क्षेत्र में भारतीय बौद्धिक संपदा बनाने के लिए एक समग्र ईको-सिस्टम बनाने के उद्देश्य से भुवनेश्वर में एक ईएसडीएम इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न संख्या 1410**

दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

okf.kT; vkj vk|kfxd {k= e fxjkoV

1410- Jh Vhñ ,uñ iFkkiu%

D;k **okf.kT; vkj m|kx e=h** ;g crku dh dik djx fd%

¼d½ D;k okf.kT; vkj vk|kfxd {k= e enh g(

¼[k½ ;fn gk] rk nkuk {k=k e ekt nk of) nj vkj foxr ikp foÙkh; o"kk e iR;d o"k dh of)&nj dk C;kjk D;k g(vkj

¼x½ nkuk {k=k e Øe'k% o"k 2010] 2014 vkj 2018 d nkjku dh of)&nj fdruh g\

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

भाग (क) से (ग) :

पण्य वस्तु में निर्यात और आयात, दोनों के लिए वृद्धि दर निम्नानुसार है :-

भारत का व्यापार	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
पण्य वस्तु निर्यात वृद्धि (%)	4.66	-1.29	-15.48	5.17	10.03	8.75
पण्य वस्तु आयात वृद्धि (%)	-8.26	-0.48	-14.96	0.88	21.13	10.41
स्रोत : भारत का पण्य वस्तु व्यापार : डीजीसीआई एंड एस						

औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की वृद्धि दर पर तालिका निम्नानुसार है :-

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (% परिवर्तन)						
		आधार 2011-12				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आईआईपी की समग्र वृद्धि	3.3	4.0	3.3	4.6	4.4	3.8
स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय						

वित्तीय वर्ष 2009-10 में पण्य वस्तु निर्यात वृद्धि -3.53 प्रतिशत और पण्य वस्तु आयात वृद्धि -5.05 प्रतिशत थी। वित्तीय वर्ष 2009-10 में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आईआईपी) में 5.29 प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

विगत तीन वर्षों में पण्य वस्तु निर्यात में लगातार वृद्धि होती रही है और यह वैश्विक व्यापार में मंदी होने के बावजूद वर्ष 2018-19 में 330.07 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया।

*वर्ष 2009-10 के लिए आंकड़े आधार-वर्ष 2004-05 के हैं।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1401

दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात संवर्द्धन योजना का दुरुपयोग

1401. श्रीमती पूनमबेन माडमः
श्री पशुपति नाथ सिंहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सुविधाओं के दुरुपयोग के लिए पहचानी गई उन कंपनियों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध विगत तीन वर्षों के दौरान कार्रवाई की गई है;

(ख) इनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के परिणाम का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परिणामों के आधार पर विगत तीन वर्षों के दौरान जिन कंपनियों के निर्यात–कोड रद्द किए गए थे, उन कंपनियों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उनके नाम क्या हैं;

(घ) अनुमोदित इकाइयों की सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध की गई कंपनियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपर्युक्त सुविधाओं का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों द्वारा किए गए ऐसे अपराधों के संबंध में कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त कारणों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): गत तीन वर्षो के दौरान निर्यात संवर्धन स्कीम के अंतर्गत दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग करने वाली 1271 कंपनियों के विरुद्ध विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा कार्रवाई की गई है। विवरण डीजीएफटी की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक http://dgftcom.nic.in/exim/2000/Penalty2019.pdf पर उपलब्ध है। विवरण में वे कंपनियां शामिल हैं जिनका आयातक–निर्यातक कोड निरस्त किया गया है अथवा जिन्हें अस्वीकृत इकाई सूची में डाला गया है। सुविधाओं का दुरुपयोग करने पर कंपनियों को निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत आगे सुविधाओं से वंचित किया गया है, उनके आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) को निरस्त/निलंबित किया गया है, वित्तीय जुर्माना लगाया गया है; और वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1400**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 27 नवंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

आरसीईपी संबंधी निर्णय की समीक्षा

1400. श्री एम॰ सेल्वराजः
श्री के॰ सुब्बारायणः
डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री एंटो एन्टोनीः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में सहभागिता तो की परन्तु बाद में इससे हटने का निर्णय किया;
(ख) यदि हां, तो आरसीईपी वार्ता प्रक्रिया से हटने का क्या कारण है और इसमें कितना समय लिया गया;
(ग) क्या सरकार द्वारा अपने इस निर्णय की समीक्षा करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार पर इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी बाहरी देश का कोई दबाव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) आरसीईपी पर हस्ताक्षर नहीं करने के पक्ष में उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और क्या भारत द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए सदस्य देशों द्वारा कोई आश्वासन दिया गया था; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च) : दिनांक 4 नवंबर, 2019 को बैकांक में आयोजित तीसरे आरसीईपी नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कहा कि आरसीईपी की वर्तमान संरचना आरसीईपी के मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रतिबिम्बित नहीं करती अथवा यह भारत के बकाया मुद्दों और समस्याओं का समाधान नहीं करती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत आरसीईपी में सम्मिलित नहीं हुआ। जबकि, आरसीईपी की भारत सहित अन्य आरसीईपी देशों के लिए परस्पर लाभकारी परिणाम देने की इच्छा के बावजूद इसकी वर्तमान संरचना भारत के हितधारकों की महत्वाकांक्षाओं और समस्याओं का पर्याप्त समाधान नहीं करती है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1390

दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत द्वारा निर्यात

1390. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

श्री अजय निषादः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तय किए गए निर्यात लक्ष्यों और उपलब्धियों संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्षेत्र/निर्यातोन्मुखी इकाई (ईओयू) से विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्धरित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत दो वर्षों में किसी वर्ष के दौरान भारत से यूरोप को होने वाले निर्यात में कोई गिरावट दर्ज की गई है;

(घ) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो वैश्विक मांग में मंदी के लिए जिम्मेदार हैं;

(ङ) क्या इसके कारण देश की निर्यात–क्षमता प्रभावित हो रही है;

(च) क्या सरकार देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी उपाय कर रही हैं, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) विदेश व्यापार नीति 2015–20 के अनुसार, सरकार का लक्ष्य भारत के व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 465.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर वर्ष 2019–20 तक लगभग 900 बिलियन अमरीकी डॉलर करना और विश्व निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं) में भारत का हिस्सा 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत करना है। डब्ल्यूटीओ के अनुमान के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं) में भारत का हिस्सा 2.1 प्रतिशत था। विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत के समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं) का मूल्य निम्नानुसार हैः

(मूल्य अमेरिकी बिलियन डॉलर में)

वर्ष	निर्यात
2013–14	466.23
2014–15	468.46
2015–16	416.60
2016–17	440.05
2017–18	498.63
2018–19	538.07

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस और आरबीआई

(ख): विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) से विभिन्न मदों के लिए कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं है। पिछले दो वर्षों और मौजूदा वर्ष (अप्रैल–सितम्बर, 2019) के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यात उन्मुख इकाईयों से होने वाला निर्यात निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	एसईजेड निर्यात	ईओयू निर्यात
2017–18	581033	86083
2018–19	701179	87372
अप्रैल–सितम्बर, 2019	381912	39879

(ग) से (ड.) : जी नहीं। पिछले दो वर्षों के दौरान भारत से यूरोप को व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात निम्नानुसार है:

वर्ष	मूल्य (अमेरिकी बिलियन डॉलर में)
2016–17	53.33
2017–18	60.35
2018–19	64.38

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि भारत से यूरोप को निर्यात में पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2017–18 में 13.2 प्रतिशत, वर्ष 2018–19 में 6.7 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि हुई है।

(च) और (छ): सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ की गई। इस नीति में अन्य बातों के साथ–साथ पूर्व की निर्यात संवर्धन स्कीमों को तर्कसंगत बनाया गया और दो नई स्कीमें अर्थात माल के निर्यात में सुधार लाने के लिए भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए 'भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)' आरंभ की गई। इन स्कीमों के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय थे।

ii. विदेश व्यापार नीति, 2015–20 की मध्यावधि समीक्षा 5 दिसम्बर, 2017 को की गई। प्रति वर्ष 8450 करोड़ रु. के वित्तीय निहितार्थ के साथ श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन दरों में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

iii. लाजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास का समन्वय करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक नये लाजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन किया गया। विश्व बैंक के लाजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2014 में 54 वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया।

iv. पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ किया गया जिससें श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज समकरण प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 2.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया और दिनांक 2.1.2019 से स्कीम के अंतर्गत मर्चेन्ट निर्यातकों को शामिल किया गया।

v. व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। विश्व बैंक में "व्यापार करने की सुगमता" में भारत का रैंक वर्ष 2014 में 142 से बेहतर होकर वर्ष 2019 में 63 हो गया तथा "सीमा पार व्यापार" में रैंक 122 से 80 हो गया।

vi. देश में निर्यात अवसंरचना अंतर को पाटने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)" को प्रारंभ किया गया।

vii. दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को एक व्यापक "कृषि निर्यात" नीति प्रारंभ की गई जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना तथा कृषि निर्यात को बल प्रदान करना है।

viii. विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन की उच्च लागत के नुकसान को कम करने के लिए एक नई स्कीम नामतः "परिवहन एवं विपणन सहायता" (टीएमए) स्कीम प्रारंभ की गई है।

ix. वस्त्र और निर्मितियों के निर्यात को शामिल करते हुए एक नई स्कीम नामतः राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी से छूट प्रदान करने हेतु स्कीम (आरओएससीटीएल) को दिनांक 7.3.2019 को अधिसूचित किया गया जिसके अंतर्गत उच्च दरों पर शुल्कों/करों का रिफंड दिया जा रहा है।

****

अनुबंध

घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिमाण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

(i) संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम (एम-एसआईपीएस) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिमाण क्षेत्र म अक्षमता को संतुलित करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। नई परियोजनाओं के साथ-साथ विस्तार परियोजनाओं के लिए यह स्कीम 31.12.2018 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी। इस स्कीम के तहत, 110,004 करोड़ रू. के निवेश वाले 409 निवेश प्रस्ताव (10.10.2019 की स्थिति के अनुसार) विचाराधीन ह ।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिमाण इकाइयों के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स विनिमाण क्लस्टस (ईएमसी) स्कीम को अधिसूचित किया गया था। स्कीम 5 वर्ष की अवधि के लिए अथात 21.10.2017 तक आवेदन की प्राप्ति के लिए खुली थी। अनुमोदित आवेदकों के लिए धन के संवितरण 5 वर्ष का आगे का अवधि उपलब्ध है। इस स्कीम के तहत देश भर के 15 राज्यों म 20 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 सामान्य सुविधा कद्र (सीएफसी) स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक माल, जिसम *अन्य चीजों के साथ-साथ* सेलुलर मोबाइल हडसेट, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक संघटक, टीवी के लिए सेट टॉप बॉक्स, एलईडी उत्पाद और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण शामिल ह, के घरेलू विनिमाण को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया है । मोबाइल हडसेट और उनके पार्ट्स / संघटक विनिमाण म घरेलू मूल्य वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक चरणबद्ध विनिमाण कायक्रम(पीएमपी) अधिसूचित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, भारत ने इस क्षेत्र म तेजी से निवेश आकर्षित करना शुरू कर दिया है और पिछले चार वर्षों के दौरान देश म महत्वपूण विनिमाण क्षमताएं स्थापित की गई ह। मोबाइल हडसेट और उनके पुर्जों / कलपुर्जों का विनिमाण सेमी नाक्ड डाउन (एसकेडी) से पूरी तरह से नाक्ड डाउन-(एसकेडी) स्तर तक आगे बढ़ रहा है, जिससे घरेलू मूल्य वृद्धि म उत्तरोत्तर वृद्धि होगी ।

(iv) मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिमाण के लिए आटोमेटिक रूट के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है जो लागू विधियों/ विनियमों/सुरक्षा एवं अन्य शर्तों के अध्यधीन है ।

(v) इलेक्ट्रॉनिक्स विनिमाण उद्योग द्वारा उपयोग के लिए कम से कम 5 वर्षों के शेष जीवन वाले उपयोग किए गए संयत्र और मशीनरी का आयात पयावरण, वन और जलवायु परिवतन मंत्रालय की दिनांक 11.06.2018 की अधिसूचना के जरिए खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांस बाउन्ड्री अभियान) नियम, 2016 के संशोधन के माध्यम से सरल किया गया है।

(vi) निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माल के विनिमाण के लिए अधिसूचित पूंजीगत वस्तुओं को "निल" आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) पर आयात करने की अनुमति है।

(vii) राजस्व विभाग ने दिनांक 11.09.2018 की अधिसूचना संख्या 60/2018-सीमा शुल्क के तहत दिनांक 14.11.1995 की अधिसूचना संख्या 158/95-सीमा शुल्क म संशोधन किया है, जिसम भारत म विनिर्मित और मरम्मत या सुधार के लिए भारत म फिर से आयात किए गए निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए काल -प्रभावन प्रतिबंध को 3 वर्ष से 7 वर्ष तक शिथिल किया गया है।

(viii) भारत म घटिया और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एमईआईटीवाई ने अनिवाय अनुपालन के लिए "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवाय पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" अधिसूचित किया है। इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार, निमाता को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं म उत्पाद का परीक्षण कराना होता है, बीआईएस से पंजीकरण लेना होता है और उत्पाद पर पंजीकरण चिह्न लगाना होता है। इस आदेश के तहत 44 उत्पाद श्रेणियों को अधिसूचित किया गया है।

(ix) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 (एनपीई 2019), 25.02.2019 को अधिसूचित की गई है। एनपीई 2019 का विजन भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिमाण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक कद्र के रूप म पेश

करना है, ताकि चिपसेट सहित मुख्य घटकों को विकसित करने और विश्व भर में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योग के लिए सक्षमकारी वातावरण बनाने के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और प्रबल किया जा सके।

(x) कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे मोबाइल फोन हैंडसेट, लिथियम आयन बैटरी, एयर-कंडीशनर, एलसीडी टीवी आदि के लिए एक ग्रेडेड बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीडी) संरचना प्रदान की गई है। ग्रेडेड बीसीडी संरचना के तहत, घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य रूप से तैयार वस्तु की तुलना में इनपुट पर बीसीडी कम दर पर निर्धारित की जाती है ।

लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) और लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) टीवी पैनल्स के विनिर्माण में उपयोग के लिए ओपन सेल (15.6" और उससे अधिक) पर लगाया गया बीसीडी अधिसूचना संख्या 30/2019, दिनांक 17.09.2019 के तहत सितंबर 2020 तक 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। बीसीडी को ओपन सेल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित इनपुटों पर भी छूट दी गई है:

- फिल्म संबंधी चिप
- मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए)
- सेल (ग्लास बोर्ड / सब्सट्रेट)

(xi) कॉरपोरेट आयकर में कटौती :

घरेलू कंपनियाँ अब 22% की दर पर (अधिभार और उपकर सहित 25.17%) रियायती कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकती हैं, बशर्ते कि ऐसी कंपनी ने किसी भी आयकर प्रोत्साहन या छूट का दावा न किया हो। ऐसी कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होंगी। इसके अलावा, विनिर्माण में नए निवेशों को आकर्षित करने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं जिनमें 1 अक्तूबर, 2019 को या उसके बाद नियमित नई घरेलू कंपनियों के विनिर्माण में नव निवेश करने और 31 मार्च, 2023 तक अपना प्रचालन शुरू करने, 15% की दर पर (अधिभार और उपकर सहित 17.16%) कारपोरेट आयकर का विकल्प चुनने की अनुमति है। ऐसी कंपनी आयकर अधिनियम के तहत किसी अन्य आयकर छूट / प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठा सकती है। ऐसी कंपनियां न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होंगी। छूट/प्रोत्साहन का लाभ उठाने वाली कंपनियों के लिए एमएटी दर 18.5% से घटाकर 15% कर दी गई है।

<u>नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना</u>

(xii) इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड (ईडीएफ) को व्यावसायिक रूप से प्रबंधित "डॉटर फंड्स" में शामिल करने के लिए "फंड्स ऑफ फंड्स" के रूप में स्थापित किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नई तकनीकों को विकसित करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी प्रदान करेगा। इस निधि से इन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को बढ़ावा देना अपेक्षित है।

(xiii) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) अभिज्ञात थ्रस्ट क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए आईआईटी, आईआईएससी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आरएंडडी संगठनों जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान प्रदान करता है । इन शोध कार्यक्रमों का उद्देश्य अवधारणा, प्रौद्योगिकी / उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी के अन्तरण के प्रमाण देना है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, इन क्षेत्रों में कई शोध पहलें की गई हैं। इन शोध कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप "मेक इन इंडिया" में सहयोग करने के लिए विशिष्टता प्राप्त जनशक्ति का सृजन होता है।

(xiv) सेट टॉप बॉक्सेस(एसटीबी) के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंडियन कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (आईसीएएस) को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रणाली पर विकसित किया गया है। केबल नेटवर्क में आईसीएएस का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

(xv) ईएसडीएम क्षेत्र के विकास के लिए ऊष्मायन प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में एक इलेक्ट्रोप्रेनुर पार्क स्थापित किया गया है जो इस क्षेत्र में आईपी निर्माण और उत्पाद विकास में योगदान देगा।

(xvi) अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईआईटी-कानपुर में नेशनल सेण्टर ऑफ एक्सीलस लाज एरिया फ्लैक्सीबल इलेक्ट्रॉनिक्स (एनसीएफएलईएक्स) केंद्र स्थापित किया गया है; जिसका उद्देश्य विनिमाण; पारिस्थितिकी तंत्र; उद्यमिता, अंतराष्ट्रीय भागीदारी और मानव संसाधन और व्यावसायीकरण के लिए उद्योग के सहयोग से प्रोटोटाइप का विकास करना है।

(xvii) आईआईटी-बॉम्बे में नेशनल सेण्टर ऑफ एक्सीलस फॉर टेक्नालोजी आन इण्टरनल सिक्योरिटी (एनसीईटीआईएस) की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप उपलब्ध कराकर सतत आधार पर राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना है और आंतरिक सुरक्षा के लिए घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है।

(xviii) बगलुरू में एनएएसएससीओएम के साथ मिलकर सेण्टर ऑफ एक्सीलस आन इंटरनेट ऑफ थिंग्स (एलओटी) की स्थापना की गई है।

(xix) आईआईटी-पटना में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित एक इनक्यूबेशन सटर स्थापित किया गया है।

(xx) सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेट करने और इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए स्टार्ट-अप को वन-स्टॉप सेवा प्रदान करने के लिए आईआईटी हैदराबाद में एक फैबलेस चिप डिज़ाइन इनक्यूबेशन सटर स्थापित किया गया है।

(xxi) एसटीपीआई चेन्नई में फिनटेक में अवसंरचना, संसाधन, कोचिंग / मेंटरशिप, प्रौद्योगिकी सहायता और फिनटैक क्षेत्र में सहयोगी दृष्टिकोण के माध्यम उभरते हुए स्टार्ट अप्स को फंड प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना की गई है जिसमें औद्योगिक साझेदार रूप में मैसर्स इन्टलैक्ट डिजाइन, एनपीसीआई, यूआईडीएआई और साझेदार बैंक के रूप में येस बैंक, पे पाल एचएसबीसी, ज्ञान साझेदार के रूप में आईआईटी चेन्नई और औद्योगिक संपर्क प्रदान करने के लिए टीआईई चेन्नई शामिल है।

(xxii) एक एल ओ टी ओपन लैब - ऐरो इलेक्ट्रॉनिक्स एसटीपीआई बंगलोर के साथ साझेदारी करके सेन्टर आफ एक्सीलस फार इंटरनेट ऑफ थिंग्स (सीओई) की स्थापना की गई है ताकि विकासशील उत्पादों और / या एलओटी संबंधी सेवाओं के विकास के लिए एलओटी उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को शैक्षणिक और व्यावसायिक परामश प्रदान किया जा सके।

(xxiii) ईएसडीएम नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और देश के पूर्वी क्षेत्र में भारतीय बौद्धिक संपदा बनाने के लिए एक समग्र ईको-सिस्टम बनाने के उद्देश्य से भुवनेश्वर में एक ईएसडीएम इनक्यूबेशन सटर की स्थापना की गई है।

*****